झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–398 / 2019

सखी देवी उर्फ सखी घुनिया, उम्र लगभग 80 साल, पति–स्व0 उमेश कैबर्ट, पुत्री–स्व0 पंचू घुनिया, ग्राम–बंदाबीर (ईचागढ़), डाकघर–ईचागढ़, थाना–तिरूलडीह, जिला–सरायकेला खरसावां ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. अपर निदेशक, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल, डाकघर और थाना–चांडिल, जिला–सरायकेला–खरसावां।
3. भूमि अधिग्रहण अधिकारी, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल, डाकघर और थाना–चांडिल, जिला–सरायकेला–खरसावां।
4. पुनर्वास अधिकारी सं0 2, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल, डाकघर और थाना–चांडिल, जिला–सरायकेला–खरसावां।
5. उपायुक्त, डाकघर और थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां।

..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री राम चन्द्र प्रसाद साह, अधिवक्ता

विपक्षीगण–राज्य के लिए : श्री मुन्ना लाल यादव, एस0सी0 (एल एंड सी)–III

आदेश संख्या 05 : दिनांक 29वीं जुलाई, 2021

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामला सुना गया है।

कुछ तर्क के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इस सिविल विविध याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी।

श्री मुन्ना लाल यादव, एस0सी0 (एल एंड सी)–III ने विपक्षीगण–राज्य की ओर से पेश होते हुए राज्य ने कोई आपत्ति नहीं जताई है।

तदनुसार, इस सिविल विविध याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

इस सिविल विविध याचिका का निपटान याचिकाकर्ता को नई सिविल विविध याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)